

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया


### आदेश

प्रार्थी के खाता "दुरुस्ती प्रार्थना" पत्र में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की अनुसरण में पटवार हल्का रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रविष्टि को चक 7 I D 6 की जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र. स. | ग्राम का नाम | चक व खाता संख्या एवं जमाबन्दी सम्बत | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1       | रासूवाला     | चक 7 I D 6<br>खता सं. 92/70         | फलवार पुन<br>पूर्व सिंघ              | दिलवार सिंघ<br>पुन पूर्व सिंघ                                |


नोट :- शेष प्रविष्टि/यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन है तो यथावत रहेगा।

क्रमांक :- सम/585

  
 11/5  
 (रमेश देव)  
 प्रशासनिक उपखण्ड अधिकारी (SDO)  
 संगरिया  
 दिनांक :- 11/5/23  
रासूवाला

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी दिलवार सिंघ 90 पूर्व सिंघ जमी कुम्हार निवासी  
रासूवाला
3. आदेश पत्रावली।

  
 11/5/23  
 प्रशासनिक उपखण्ड अधिकारी (SDO)  
 संगरिया  
रासूवाला

